सूचना का अधिकार
मौलिक अधिकार

1. यह एक मौलिक अधिकार है।
2. यह संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर दिनांक 12 अक्टूबर 2006 से लागू है।
3. यह अधिनियम केन्द्र राज्य सएवं गैर सरकारी संगठन NGO जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित, हो सभी पर लागू है।

इसमें क्या शामिल है?

1. सभी प्रकार के अभिलेख, दस्तावेज ज्ञापन, **e-mail**, मत, सलाह, आदेश , नमूने, रिपोर्ट, सरकुलर, संविदा **contact** कागज, पत्र, लाग बुक,मॉडल और आंकड़े संबंधी सामाग्री जो इलेक्ट्रिानिक रूप में है या उसके अतिरिक्त
2. निमार्ण कार्यो दस्तावेजो और अभिलेखों का निरिक्षण का अधिकार।
3. दस्तावेजो या अभिलेखों के टिप्पणी उद्वरण या प्रमाणिक प्रतिलिपि का अधिकार।
4. सामग्री के प्रमाणिक नमूना लेने का अधिकार।
5. डिस्केटश फ्लापी , टेप वीडियो, कैसेट, प्रिंट आउट के माध्यम से कम्प्यूटर में भंडारित सूचना देने का अधिकार।

आवेदन कहॉ दे?

1. संबंधित विभागों के जन सूचना, सहायक जनसूचना अधिकारो के पास।
2. आवेदन पत्र के साथ, आवेदन रू. दस नगदी अथवा चालान के साथ।
3. जानकारी उपलब्धव कराये जाने पर छायाप्रति का निर्धारित शुल्क अलग से देना होगा।
4. जानकाकरी 30 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को देना होगा अन्यथा।
5. रू. 250 प्रतिदिन जुर्माना देय होगा।

शुल्क की छुट

1. गरीबी रेख में आने वाले व्यक्ति को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।
2. उसे मांगी गयी जानकारी भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

अपील

1. प्रथम अपील जनसूचना अधिकारी से बडे मोहदे के विभागी के अधिकारी के पास ।
2. जानकारी अस्वीकृत होने के सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील करना होगा।
3. अपील का निर्णय भी अपील करने की तिथि से 45 दिन के भीतर करना होगा।
4. तृतीय अपील राज्य सूचना आयोग के पास को जावेगी।

5. प्रथम अपील के निर्णय से 90 दिन के अन्दर करना होगा।

6. निर्णय लेने की समय सीमा नहीं है।

7. राज्य सूचना आयोग के निर्णय को केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है सिविल न्यायलय में नहीं।

सूचना अधिकारीः–प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक बिलासपुर छ.ग. प्रथम अपीलोय।

सहायक सूचना अधिकारोः– मुख्य लिपिक शासकीय पॉलिटेक्निक छ.ग.।

प्रथम अपीलीय अधिकारीः– संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय, तृतीय एवं चतुर्थ मंजिल इंद्रावती भवन नया मंत्रालय, नया रायपुर।

द्वितीय अपीलीय अधिकारीः–सचिव,तकनीकी शिक्षा, महानदी भवन नया मंत्रालय,नया रायपुर